



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102026-276987
CG-DL-E-09102026-276987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 801]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 801]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 872(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड नियमावली में 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -** (1) इन नियमों को केंद्रीय रेशम बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- केंद्रीय रेशम बोर्ड नियमावली, 1955 के नियम 52 के खंड (ग) के "प्रपत्र-14" में शब्द और आंकड़े के स्थान पर, "प्रपत्र-14(क) या प्रपत्र-14(ख) या प्रपत्र-14(ग)" शब्द, कोष्ठक, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 25017/04/2026-रेशम]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमावली दिनांक 23 मार्च, 1955 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 662, द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किए गए थे:

- जी.एस.आर. 561, दिनांक 7 अप्रैल, 1971;
- जी.एस.आर. 1250, दिनांक 18 सितंबर, 1972;

3. जी.एस.आर. 1165, दिनांक 22 अक्टूबर, 1974;
4. जी.एस.आर. 141, दिनांक 24 जनवरी, 1985;
5. जी.एस.आर. 29, दिनांक 23 दिसंबर, 1992;
6. जी.एस.आर. 1059, दिनांक 13 अप्रैल, 1998;
7. जी.एस.आर. 426, दिनांक 13 अक्टूबर, 2000;
8. जी.एस.आर. 420, दिनांक 30 नवंबर, 2004;
9. जी.एस.आर. 750(अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2011;
10. जी.एस.आर. 76, दिनांक 31 मार्च, 2015;
11. जी.एस.आर. 36(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2026

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2026

G.S.R. 872(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Silk Board Rules, 1955, namely: -

1. **Short title and Commencement:** - (1) These rules may be called the Central Silk Board (Second Amendment) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Silk Board Rules, 1955, in rule 52, in clause (c), for the word and figure “Form-14”, the words, brackets, figures and letters “Form-14(a) or Form-14(b) or Form-14(c)” shall be substituted.

[F. No. 25017/04/2026-Silk]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide notification number S.R.O. 662, dated the 23rd March, 1955, and subsequently amended vide number:

- (i) G.S.R. 561, dated the 7th April, 1971;
- (ii) G.S.R. 1250, dated the 18th September, 1972;
- (iii) G.S.R. 1165, dated the 22nd October, 1974;
- (iv) G.S.R. 141, dated the 24th January, 1985;
- (v) G.S.R. 29, dated the 23rd December, 1992;
- (vi) S.O. 1059, dated the 13th April, 1998;
- (vii) G.S.R. 426, dated the 13th October, 2000;
- (viii) G.S.R. 420, dated the 30th November, 2004;
- (ix) G.S.R. 750(E), dated the 3rd October, 2011;
- (x) G.S.R. 76, dated the 31st March, 2015;
- (xi) G.S.R. 36(E), dated the 15th January 2026.